

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

**अधिसूचना सं. 3/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर**

नई दिल्ली, तारीख 28 जून, 2017  
7 आषाढ़, शक 1939

सा.का.नि. (अ). केंद्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जुलाई, 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 6 से धारा 16, धारा 18 से धारा 20 और धारा 23 से धारा 26 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. एस-31011/25/2017-एसटी-I-डीओआर]

(एस. आर. मीना)  
अवर सचिव, भारत सरकार